राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना
वाद संख्या–09/2025
बलिराम प्रसाद बनाम् शारदा देवी।

यह वाद श्री बलिराम प्रसाद, पिता–श्री अमरनाथ प्रसाद, पता–काजी बाजार महाराजगंज थाना–महाराजगंज, जिला–सिवान द्वारा श्रीमती शारदा देवी(मुख्य पार्षद, नगर पंचायत महराजगंज, जिला–सिवान) पति–शक्ति शरण प्रसाद, वार्ड संख्या–04, महराजगंज, नगर पंचायत P.O.+P.S-महाराजगंज, जिला–सिवान के विरुद्व **बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(k) के तहत निर्वाचन वर्ष के ठीक पूर्व के वित्तीय वर्ष तक के बकाया** Holding Tax को अदा नहीं करने के आधार पर मुख्य पार्षद, नगर पंचायत महाराजगंज, सिवान, बिहार के पद से पदमुक्त करने हेतु लाया गया है।

2. वाद की सुनवाई के क्रम में वादी श्री बलिराम प्रसाद का पक्ष उनके विद्वान अधिवक्ता श्री दिवाकर प्रसाद सिंह द्वारा आयोग के समक्ष रखा गया, जबकि प्रतिवादी श्रीमती शारदा देवी की ओर से उनका पक्ष विद्वान अधिवक्ता श्री संजय कुमार द्वारा रखा गया। सुनवाई के क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, सिवान द्वारा अभिलेखों के सत्यापन को उपलब्ध कराने एवं जिला प्रशासन का पक्ष रखने हेतु श्री शैलेश कुमार चौधरी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सिवान एवं श्रीमती सीमा कुमारी, जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी–सह–प्रभारी पदाधिकारी, विकास शाखा, सिवान को प्राधिकृत किया गया।

3. वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि वादी द्वारा अपने नामांकन–पत्र में कुल 03 भवनों का विवरण अंकित किया गया है, जिसमें से उनके द्वारा किसी भी भवन का Holding Tax अदा नहीं किया गया है, जबकि नामांकन के पूर्व के वित्तीय वर्ष तक सभी बकाया Holding Tax अदा करना बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(k) के तहत अनिवार्य है। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि इसके अतिरिक्त प्रतिवादी नगर पंचायत क्षेत्र में कई भूखण्डों की स्वामिनी है, जिसकी जानकारी उन्हें नगर पंचायत महराजगंज को स्वयं प्रदान करनी है तथा जिसका Holding Tax भी उन्हें स्वयं अदा करना है, परन्तु उनके द्वारा न तो मकानों का Holding Tax अदा किया गया है और न ही रिक्त भूखण्डों का। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि Bihar Municipal Property Tax (Assessment, Collection and Recovery) Rules,2013 के प्रावधानों के तहत Self Assessment कर स्वयं सभी संपतियों का Holding Tax अदा करना अनिवार्य है।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि इसके अतिरिक्त उनके द्वारा साक्ष्य में कई ऐसे भूखण्डों का विवरण दिया गया, जो प्रतिवादी के पति के नाम पर है तथा इनका Holding Tax भी नियमानुसार दिया जाना अनिवार्य है।

अपने दावें के समर्थन में आयोग को प्रतिवादी के नामांकन–पत्र का अवलोकन कराया गया, जिसमें प्रतिवादी द्वारा तीन पक्का भवन अंकित किया गया है। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा शहरी

भूमि 01 बीघा 10 कट्ठा अंकित किया गया है। उनके द्वारा यह दावा किया गया कि प्रतिवादी ने किसी भी मकान या भूखण्ड का Holding Tax अदा नहीं किया है।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी Holding Tax के प्रावधानों के अनुसार नगरपालिका क्षेत्र में उपस्थित सभी संपतियों यथा–मकान, दुकान, रिक्त भूमि आदि सभी का Holding Tax देय है।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी को उक्त नियमों का भलिभाँति संज्ञान था। इसी कारण उनके द्वारा दो Holding Tax रसीद क्रमशः दिनांक–09.09.2022 एवं दिनांक–13.09.2022 की तिथियों को नगर पंचायत महराजगंज से प्राप्त किया, इसमें उनके द्वारा एक मकान एवं दुकान का क्षेत्रफल 800 (20X40) वर्गफीट तथा दूसरे मकान का क्षेत्रफल 100 (10X10) वर्गफीट दर्शाया गया है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि जिस व्यक्ति का घर 03–03 भवन हजारों वर्गफीट में बना हुआ है, उस व्यक्ति के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि उसका 100 वर्गफीट का आवासीय मकान है, वास्तव में स्थापित नियमों से छलपूर्वक बचने का प्रयास मात्र है। आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके द्वारा अपने दावें के समर्थन में जितने भी अभिलेखीय साक्ष्य दिये गये हैं तथा जितने भी दावें किये गये हैं, सभी सही पाये गये है, उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके दावें का सत्यापन जिला पदाधिकारी, सिवान के पत्रांक–2177/पं0, दिनांक–29.07.2025 से प्राप्त है। उनके द्वारा आगे आयोग को बताया गया कि सत्यापन पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सिवान द्वारा अंतिम रूप से निष्कर्ष दिया गया है कि वादी का दावा सत्य है। अपने प्रतिवेदन पत्रांक–1619/पं0, दिनांक–12.06.2025 में अंकित किया गया है कि:–

''याचिकाकर्त्ता के तीनों आरोप यथा सभी भवनों का निर्वाचन वर्ष के पूर्व के वर्ष तक का नगर निकाय का बकाया जमा नहीं करने एवं प्रतिवादी के पति के स्वामित्व में वाहन होने तथा ऋण लंबित रहने संबंधी तथ्यों को छिपाया गया है। तदनुसार वाद में अग्रेत्तर निर्णय लिया जा सकता है।''

अंत में उनके द्वारा यह दावा किया गया कि यद्यपि नियमानुसार प्रत्याशी को अपने परिवार एवं आश्रितों के संपतियों एवं देनदारियों का विवरण देना आवश्यक है, तथापि वह अपना दावा मुख्य पार्षद तक ही सीमित रखते है, तब भी प्रतिवादी मुख्य पार्षद के पद हेतु बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007(यथासंशोधित) की धारा–18(1)(k) के तहत अयोग्य है। अतः इन्हें पद से अविलम्ब हटाया जाना चाहिए।

4. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि उनके द्वारा अपने जवाब के पारा–02 एवं 03 में अपनी प्राथमिक आपत्ति दर्ज की है। उनकी प्राथमिक आपत्ति यह है कि रजनी कुमारी वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पूर्णपीठ द्वारा दिये गये न्याय–निर्णय के आलोक में यह वाद आयोग के फोरम पर पोषणीय नहीं है। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि पूर्णपीठ द्वारा यह दिशा–निर्देश दिया गया है कि आयोग के समक्ष जब भी कोई विवादास्पद मामला आए, तो

आयोग ऐसे मामलों को सक्षम न्यायालय/प्राधिकार अथवा Fact Finding Body को संदर्भित कर देगा। अपने दावें के समर्थन में उनके द्वारा रजनी कुमारी बनाम् राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार–2019 (6) BLJ-1 के संबंधित अंशों का वाचन किया गया। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि वादी द्वारा लाया गया यह वाद निर्विवाद साक्ष्यों पर आधारित नहीं है। अतः इस वाद की सुनवाई केवल चुनाव याचिका के माध्यम से सक्षम मुंशिफ न्यायालय के अधीन ही हो सकती है।

आगे उनके द्वारा आयोग के समक्ष बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(k) का वाचन किया गया, जो निम्नवत् हैः–

"If he has not paid all taxes due by him to the Municipality at the end of the financial year immediately preceding that in which the election is held."

इसके उपरांत उनके द्वारा सत्यापन पदाधिकारी–जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सिवान के पत्रांक–1619/पं0, दिनांक–12.06.2025 के एक अंश का वाचन किया गया, जिसमें अंकित है कि ''यह उल्लेखनीय है कि नगर पंचायत महाराजगंज में सर्वेक्षण एवं Holding का निर्धारण नहीं हुआ है।''

उक्त तथ्यों के आधार पर उनके द्वारा यह दावा किया गया कि जब Holding Create ही नहीं हुआ है, तो वह Tax कहाँ और किसके विरूद्ध जमा करेगें।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि नगर पंचायत कार्यालय महाराजगंज से उनकों बकाया रहित प्रमाण–पत्र प्राप्त है। अतः यदि नगर पंचायत कार्यालय महाराजगंज द्वारा उन्हें बकाया रहित प्रमाण–पत्र दिया गया है। इसके बाद उसके संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो इसकी सुनवाई हेतु सक्षम न्यायालय, राज्य निर्वाचन आयोग नहीं है।

आगे उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि जहाँ तक रिक्त भूखण्ड का प्रश्न है, उसका कोई Holding Create नहीं होता। उनके द्वारा बिहार सरकार के भू–राजस्व विभाग को लगान अदा किया गया है।

उनके द्वारा वादी के इस दावें को भी प्रश्नगत किया गया कि मकानों के क्षेत्रफल के संबंध में किया जा रहा दावा भी रजनी कुमारी वाद से ही आच्छादित है। वादी के दावें को सिद्ध करने के लिये साक्ष्यों को प्रस्तुत करना होगा तथा सक्षम प्राधिकार के स्तर से इसकी मापी आवश्यक होगी। इसी कारण यह एक विवादास्पद मुद्दा है, जिसकी सुनवाई यहाँ नहीं की जा सकती। उनके द्वारा यह भी दावा किया गया कि उनके मुवक्किल द्वारा स्वयं ही बिना किसी माँग के कुछ न कुछ राशि सरकारी निधि में जमा की गई है, जबकि यह राज्य की जिम्मेवारी है, यदि कोई देयता बनती है, तो वह इसकी माँग विधिवत् करें। उनके द्वारा आयोग को बताया गया कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्विसदस्यीय पीठ द्वारा भी उनके इस तर्क का समर्थन मैनेजर प्रसाद वाद में किया गया है।

आगे उनके द्वारा प्रतिवादी के पति के ऋण एवं वाहन के संबंध में दी गयी सूचनाओं को सही बताया तथा वादी के दावें का खण्डन किया गया।

वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी के तर्कों का प्रतिवाद करते हुये आयोग को बताया गया कि अनापत्ति प्रमाण–पत्र नगर पंचायत द्वारा इस शर्त्त के साथ दिया गया है कि इसको प्राप्त करने वाला किसी तथ्य अर्थात् संपति की जानकारी नहीं छिपा रहा है, परन्तु यहाँ स्पष्ट है कि प्रतिवादी द्वारा संपतियों का विवरण छिपाकर छलपूर्वक अथवा धन–बल का प्रयोग कर अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त किया गया है। आगे उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि यदि बिना Holding Create हुऐ, Tax जमा करना अनिवार्य नहीं था, तो छोटे–छोटे मकानों का Holding Tax उनके द्वारा क्यों जमा किया गया, जबकि उन मकानों का भी कोई Holding Number नहीं है। उनके द्वारा तर्क दिया गया कि वास्तव में प्रतिवादी को Holding Tax से संबंधित सभी नियमों की जानकारी है, परन्तु उनके द्वारा वास्तव में Tax से बचने के लिये अपनी पूरी संपतियों को छिपाकर तथा निर्वाचन पदाधिकारियों को धोखा देने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लिया।

आगे उनके द्वारा तर्क दिया गया कि प्रतिवादी का यह दावा है कि उनके पति द्वारा अपना वाहन बेच दिया गया, जबकि Owner Book में पति का नाम ही अंकित है, जो कि जिला प्रशासन के प्रतिवेदन से भी प्रमाणित है। बिना Owner Book में नाम Transfer हुये, कानूनी रूप से वाहन की बिक्री वैध नहीं मानी जा सकती।

आगे उनके द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि प्रतिवादी का दावा भ्रामक है कि आयोग को ऐसे मामलों की सुनवाई की अधिकारिता नहीं है। उनके द्वारा यह दावा किया गया कि निर्वाचन के उपरांत यह निर्वाचन के पूर्व अयोग्यता से संबंधित मामलों की सुनवाई का Exclusive एवं Inherent Jurisdiction आयोग में ही निहित है। ऐसे मामले की सुनवाई की अधिकारिता, रजनी कुमारी वाद पूर्णपीठ भी स्थापित करता है।

अंत में उनके द्वारा समरूप मामलें में वाद संख्या–19/2024, दुर्गेश नन्दन बनाम् किस्मती देवी मामले में आयोग के निर्णय का अवलोकन कराया गया।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि आयोग के उक्त निर्णय को C.W.J.C. No. 19245/2024 में रद्द कर दिया गया है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि उक्त वाद एवं इस वाद में मूलभूत अंतर है, क्योंकि वहाँ किसमती देवी के मकानों का Holding Create था, जबकि यहाँ उनके मुवक्किल के मकानों का Holding ही Create नहीं है। अतः वादी द्वारा संदर्भित वाद यहाँ लागू नहीं होता। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि Civil Appeal No. 4615/2023 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बिक्रय–पत्र को स्वीकार किया गया है, भले ही Owner Book में नाम Transfer नहीं हुआ था। अतः वाद खारिज किये जाने योग्य है।

5. जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, सिवान द्वारा सत्यापन–सह–जाँच प्रतिवेदन पत्रांक–2177/पं0, दिनांक–29.07.2025, द्वारा उपलब्ध कराया गया। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सिवान द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन से सहमत होते हुए, जिला निर्वाचन पदाधिकारी(न0पा0), सिवान द्वारा जाँच प्रतिवेदन में अंकित प्रमुख तथ्य निम्नवत् हैः–

''याचिकाकर्त्ता ने याचिका की कंडिका–1 एवं अनुवर्ती कंडिकाओं में आरोप लगाया है कि मुख्य पार्षद द्वारा नगर निकाय क्षेत्र में अवस्थित उनके भूमि/भवनों का **'होल्डिंग'** कर का भुगतान नहीं किया गया है। याचिकाकर्त्ता के अनुसार मुख्य पार्षद एवं उनके पति/आश्रितों के नाम निम्नलिखित भू–संपदाएं नगर निकाय क्षेत्र में है, जो अंचलाधिकारी, महाराजगंज द्वारा सत्यापित भी किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0सं0	जमाबंदी संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	भू–स्वामी का नाम	वार्ड संख्या	रकवा	भवन का प्रकार
01.	597	143	2086	शारदा देवी	02	2.976 डी0	दुकान/मकान
02.	561	42	2921, 2922, 2923, 2685	शारदा देवी	04	0.82 डी0	दुकान/मकान
03.	432	117	2721, 2726, 2727, 2516	शारदा देवी	04	4.837 डी0	दुकान
04.	577	117	2720	शारदा देवी	04	0.93 डी0	दुकान/मकान
05.	N/A	400		शक्ति शरण प्र0 सिंह	04	5.005 डी0	दुकान/मकान

उपर्युक्त के विरूद्ध प्रतिवादी/उनके पति द्वारा निम्नवत् कर का भुगतान किया गया हैः–

क्र0 सं0	करदाता का नाम	वार्ड संख्या	भवन का प्रकार	राशि	जमा की तिथि	खाता/खेसरा
01.	शक्ति शरण प्रसाद	04	1.आवासीय 2.व्यावसायिक	2616	13.09.2022	N/A
02.	शारदा देवी	04	1.आवासीय 2.दुकान	2474	09.09.2022	N/A

इस प्रकार प्रतिवादी ने वार्ड नं0–02 के अपने आवासीय एवं व्यवसायिक भवन का **'होल्डिंग टैक्स'** जमा नहीं किया है। नगर पंचायत महाराजगंज द्वारा शारदा देवी को बकाया रहित प्रमाण–पत्र इस शर्त्त के साथ दिया गया है कि तथ्य छुपाने की स्थिति में उनपर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

याचिकाकर्त्ता के तीनों आरोप यथा सभी भवनों का निर्वाचन वर्ष के पूर्व के वर्ष तक का नगर निकाय का बकाया जमा नहीं करने एवं प्रतिवादी के पति के स्वामित्व में वाहन होने तथा ऋण लंबित रहने संबंधी तथ्यों को छिपाया गया है। तदनुसार वाद में अग्रेत्तर निर्णय लिया जा सकता है।''

6. आयोग द्वारा विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/तर्कों तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, सिवान का प्रतिवेदन तथा संदर्भित

न्याय–निर्णयों का अवलोकन किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों एवं विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों के आलोक में आयोग का इस वाद के संबंध में मत निम्नवत है:–

"आयोग द्वारा यह पाया गया कि इस वाद का मूल कारण वादी का यह दावा है कि श्रीमती शारदा देवी (वर्तमान मुख्य पार्षद, नगर पंचायत, महाराजगंज, सिवान, बिहार) द्वारा निर्वाचन वर्ष–2022 में वित्तीय वर्ष–2021–22 तक का अपने सभी Holding एवं परिसंपतियों का Holding Tax जमा किये बिना निर्वाचन प्रक्रिया में भाग ली तथा निर्वाचित हो गयी, जो कि बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(k) का उल्लंघन है एवं उक्त प्रावधानों के अधीन मुख्य पार्षद के पद हेतु निर्रहता का कारण है।"

आयोग द्वारा सर्वप्रथम प्रतिवादी के प्राथमिक आपत्ति पर विचार किया गया, तो यह पाया गया कि रजनी कुमारी वाद में माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पूर्णपीठ द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18 एवं धारा–475 के तहत आने वाले अयोग्यता/योग्यता से संबंधित मामलों में आयोग के सुनवाई की अधिकारिता को स्वीकार किया गया है। जहाँ तक वाद–पत्र के साथ संलग्न साक्ष्यों के निर्विवाद होने का प्रश्न है, तो इसका निर्धारण जिला में उपलब्ध मूल अभिलेखों से मिलान किये बिना नहीं किया जा सकता। आयोग केवल प्राप्त साक्ष्यों के मूल अभिलेखों से मिलान कर सत्यापन हेतु इन्हें इन मूल अभिलेखों के Custodian के कार्यालयों को प्रेषित करता है। यदि अभिलेख प्रमाणित पाये जाते है, तो उनकी प्रकृति स्वतः निर्विवाद साक्ष्य की हो जाती है। अतः प्रतिवादी का यह तर्क स्वीकार्य नहीं है कि यह वाद विवादित साक्ष्यों पर आधारित है, क्योंकि वादी द्वारा दिये गये साक्ष्यों का मिलान Public Record से किया गया, तो इसे सही पाया गया। अतः प्रतिवादी की प्राथमिक आपत्ति खारिज की जाती है।

आगे वाद के मूल तत्वों पर विचार किया गया, तो इस संबंध में बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(k) में अंकित प्रावधान निम्नवत् है:–

"18(1)(K) If he has not paid all taxes due by him to the Municipality at the end of the financial year immediately preceding that in which the election is held."

ठीक इसी प्रकार Bihar Municipal Property Tax (Assessment, Collection and Recovery) Rules,2013 के नियम–13 के प्रावधान निम्नवत् है:–

"13. Self-declaration/Self-Assessment-(1) Self- assessing their holding tax and paying it to the Municipality without waiting for a demand notice shall be the responsibility to of the tax payer or owner of the holding."

जिला प्रशासन द्वारा वादी द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखीय साक्ष्यों का सत्यापन किया गया, तो यह प्रमाणित पाया गया कि प्रतिवादी शारदा देवी के नाम से नगर पंचायत, महाराजगंज में वार्ड संख्या–02 में एक तथा वार्ड संख्या–04 में तीन मकान/दुकान है, जबकि उनके द्वारा वार्ड संख्या–02 में स्थित आवासीय एवं व्यवसायिक मकान का 'होल्डिंग टैक्स' जमा नहीं किया

गया है। उनके द्वारा वार्ड संख्या–04 में स्थित मकान/दुकान में से केवल एक **'होल्डिंग टैक्स'** जमा किया गया है, शेष 02 मकान/दुकान का **'होल्डिंग टैक्स'** जमा नहीं किया गया है।

आयोग प्रतिवादी के इस तर्क से सहमत नहीं है कि नगर पंचायत महाराजगंज में 'होल्डिंग Create नहीं होने अथवा सर्वे नहीं होने के कारण 'होल्डिंग टैक्स' जमा किया जाना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–127(3) को समग्रता एवं इससे उद्भूत Bihar Municipal Property Tax (Assessment, Collection and Recovery) Rules, 2013 के नियम–13 को एक साथ पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि नगरपालिका क्षेत्र में स्थित Holding अथवा भूखण्ड के स्वामी को स्वामित्व प्राप्ति के तीस दिनों के अन्दर इसकी सूचना स्वयं नगरपालिका को प्रदान करनी है साथ ही उसका Holding Tax अनिवार्य रूप से बिना माँग–पत्र के स्वयं ही जमा करना है। इस संबंध में प्रतिवादी का तर्क परस्पर विरोधी है, उनके द्वारा स्वयं ही बिना 'होल्डिंग Create हुये, कुछ मकान/दुकान का Holding Tax जमा किया गया है, जबकि अधिकांश दुकान/मकान/रिक्त भूमि का Holding Tax जमा नहीं किया गया है तथा इसका कारण यह दिया जा रहा है कि Holding Number प्राप्त नहीं है, या माँग–पत्र प्राप्त नहीं है। स्पष्ट है कि एक ही नियम पर दो परस्पर विरोधी तर्क दिया जा रहा है, क्योंकि यदि बिना माँग–पत्र के Holding Tax जमा नहीं करना था, तो सभी Holding का Tax जमा नहीं किया जाता, परन्तु दोनों अवसरों पर निर्वाचन के पूर्व उनके द्वारा बिना माँग–पत्र के Holding Tax अदा किया गया है। इससे स्पष्ट है कि उन्हें Holding Tax जमा किए जाने के नियमों की पूर्ण जानकारी थी।

आयोग प्रतिवादी के द्वारा संदर्भित मैनेजर प्रसाद वाद में पारित न्याय निर्णयों से भी मार्गदर्शन प्राप्त किया गया तो यह पाया गया कि उक्त न्याय निर्णय Bihar Municipal Property Tax (Assessment, Collection & Recovery) Rule, 2013 के प्रभावी होने से पूर्व गठित नगरपालिकाओं के वाद से संबंधित था।

आयोग द्वारा उक्त नियमावली के प्रभावी होने के पश्चात् माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा प्रियम वाद में दिये गये न्याय–निर्णय से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा मैनेजर प्रसाद वाद मे दिये गये न्याय–निर्णय को भी संज्ञान में रखा गया है। यही कारण है कि माननीय न्यायालय द्वारा मैनेजर प्रसाद वाद में दिये गये न्याय–निर्णय को बदलते हुए नये नियमावली Bihar Municipal Property Tax (Assessment, Collection & Recovery) Rule, 2013 के नियम 13 के अधीन "Self Assessment/ Self Declaration" वरीयता प्रदान की गई है।

प्रतिवादी के अन्य तर्कों का प्रतिउत्तर वादी द्वारा दिया गया है, जो प्रतिवादी के तर्को की तुलना में अधिक तर्क संगत एवं स्वीकार योग्य है तथा इनको प्रतिवादी के तर्कों पर वरीयता प्रदान की जाती है।

आयोग द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के धारा–18 (1) में वर्णित निरर्हता संबंधित प्रावधानों का सूक्ष्म परीक्षण किया गया तो यह पाया गया कि सभी प्रावधान किसी न

किसी विशेष अन्तर्निहित उद्देश्य/कारणों से प्रेरित है, तथा अधिनियम कि धारा–18(1)(K) भी इसका अपवाद नहीं है। होल्डिंग टैक्स की राशि किसी नगरपालिका के स्वयं के वित्तीय संसाधन का सबसे बड़ा श्रोत होता है। ऐसी स्थिति में विधि निर्माताओं द्वारा नगरपालिका में निर्वाचित होने वाले जनप्रतिनिधियों से ऐसी उम्मीद की गयी है कि उन्हें इसका पूर्णरूपेण ज्ञान हो तथा बकाया 'होल्डिंग टैक्स' को अदा कर वह नगरपालिका क्षेत्र में निवास करने वाले आम नागरिकों के लिए वे प्रेरक एवं आदर्श प्रतिमान प्रस्तुत कर सके।

विचाराधीन वाद में प्रतिवादी नगरपालिका क्षेत्र में स्वयं कई मकानों, दुकानों तथा भूखण्डों की स्वामिनी है, किन्तु केवल अपने नाम से अंकित एक भवन/दुकान का 'होल्डिंग टैक्स' अदा किया गया है जो न केवल बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(K) का उल्लंघन है वरन यह इन प्रावधानों के अंर्तनिहित उद्देश्यों के भी विपरीत है।

(क) उपर्युक्त सभी स्थिति से स्पष्ट है कि श्रीमती शारदा देवी द्वारा दिनांक–31.03.2022 (वित्तीय वर्ष 2021–22) तक अपने सभी होल्डिंग/परिसम्पत्तियों का सम्पूर्ण बकाया 'होल्डिंग टैक्स' संवीक्षा की तिथि तक पूर्णरूपेण अदा किये बिना मुख्य पार्षद नगर पंचायत महाराजगंज (सिवान) के पद पर निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लिया गया, जो कि बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(K) के प्रावधानों के विपरीत है। इस प्रकार उनके द्वारा मुख्य पार्षद नगर पंचायत महाराजगंज (सिवान) का पद धारण करने हेतु अयोग्यता अर्जित कर ली गई है।

इस प्रकार बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(K) के तहत अर्हता प्राप्त नहीं रहने के कारण प्रतिवादी श्रीमती शारदा देवी को बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007 की धारा–18(1)(K) सहपठित धारा–18(2) तहत प्रदत्त शक्तियों के अधीन अयोग्य/निरर्हित घोषित करते हुए, तत्काल प्रभाव से मुख्य पार्षद, नगर पंचायत, महाराजगंज (सिवान) के पद से पदमुक्त किया जाता है। इस आदेश के साथ ही मुख्य पार्षद, नगर पंचायत, महाराजगंज (सिवान) का पद रिक्त समझा जाएगा तथा नियमानुसार इस पर निर्वाचन की कार्रवाई सम्पन्न की जाएगी।

(ख) उपुर्यक्त तथ्यों एवं जिला प्रशासन के प्रतिवेदन से यह प्रमाणित होता है कि प्रतिवादी द्वारा अपने नामांकन–पत्र के साथ अपने संपतियों, देनदारियों एवं Holding Tax के संबंध में मिथ्या सूचना अंकित की है तथा इस बाबत उनके द्वारा मिथ्या शपथ–पत्र समर्पित किया गया है। अतः इस संबंध में प्रतिवादी का तर्क स्वीकार योग्य नहीं है। अतः वादी का दूसरा आरोप भी प्रमाणित एवं सही पाया गया। स्पष्ट है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007(यथासंशोधित) की धारा–445 का उल्लंघन प्रतिवादी द्वारा किया गया है। फलतः जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, सिवान से यह अपेक्षा की जाती है कि वह जिला दंडाधिकारी के रूप में प्राप्त शक्तियों के अधीन प्रतिवादी के विरूद्ध मिथ्या शपथ–पत्र भरने हेतु बिहार नगरपालिका अधिनियम–2007(यथासंशोधित) धारा–447(ग) के तहत नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित कर आयोग को इसकी सूचना उपलब्ध करायेगें।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
03.09.2025
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
03.09.2025
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–09/2025 3624 पटना, दिनांक– 3.9.25

प्रतिलिपि–सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/9/25
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–09/2025 3624 पटना, दिनांक– 3.9.25

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, **सिवान**/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **सिवान** को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, **सिवान** को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

03/9/25
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–09/2025 3624 पटना, दिनांक– 3.9.25

प्रतिलिपि– श्री बलिराम प्रसाद, पिता–श्री अमरनाथ प्रसाद, पता–काजी बाजार महाराजगंज थाना–महाराजगंज, जिला–**सिवान** एवं श्रीमती शारदा देवी (पदमुक्त मुख्य पार्षद, नगर पंचायत महराजगंज, जिला–सिवान) पति–शक्ति शरण प्रसाद, वार्ड संख्या–04, महराजगंज, नगर पंचायत P.O.+P.S- महाराजगंज, जिला–**सिवान** बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

03/9/25
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–09/2025 3624 पटना, दिनांक– 3.9.25

प्रतिलिपि–श्री नीतिश कुमार, आई.टी. मैनेजर/श्री संजीव कुमार, कम्प्यूटर ऑपरेटर, (निर्वाचन शाखा), राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

03/9/25
विशेष कार्य पदाधिकारी